



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06102025-266703
CG-TL-E-06102025-266703

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4389]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947

No. 4389]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4515(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में रायचूर तालुका के रायचूर गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 219 के स्थान पर सड़क ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक है (एकड़ 02 और 27 गुंटा) इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर धारा 20D की उप-धारा (1) के तहत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त रायचूर, रायचूर जिला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी तथा सहायक आयुक्त रायचूर, रायचूर जिला आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और

ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं

धारा 20(D) की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि की योजनाएँ और अन्य विवरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमि का विवरण: कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में रायचूर तालुका के रायचूर गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 219 के स्थान पर 02-27 ए/जी तक सड़क ओवर ब्रिज का निर्माण

गाँवकानाम : रायचूर			तालुका : रायचूर			जिला : रायचूर		
क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	क्रम सं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति (सींचित/सूखी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायचूर	रायचूर	12	93/*1	0-02	0.02	निजी	सूखी
2	रायचूर	रायचूर	13	93/*6	0-05	0.05	सरकार	सूखी
3	रायचूर	रायचूर	14	94/**	0-37	0.37	निजी	सींचितएवंसूखी
4	रायचूर	रायचूर	1	195/*1	0-04	0.04	निजी	सूखी
5	रायचूर	रायचूर	2	195/*6	0-07	0.07	निजी	सूखी
6	रायचूर	रायचूर	3	195/*7	0-04	0.04	निजी	सूखी
7	रायचूर	रायचूर	4	195/*8	0-01	0.01	निजी	सूखी
8	रायचूर	रायचूर	5	195/*9	0-08	0.08	निजी	सूखी
9	रायचूर	रायचूर	6	195/*10	0-03	0.03	निजी	सूखी
10	रायचूर	रायचूर	7	198/**	0-03	0.03	निजी	सींचितएवंसूखी
11	रायचूर	रायचूर	8	199/**	0-18	0.18	निजी	सींचितएवंसूखी
12	रायचूर	रायचूर	9	200/**	0-01	0.01	निजी	सींचितएवंसूखी
13	रायचूर	रायचूर	10	200/*3	0-06	0.06	निजी	सूखी
14	रायचूर	रायचूर	11	200/*4	0-08	0.08	निजी	सूखी
				Total	02-27	1.07		

[फा. सं. W.con/RSP/Gazette /20A/LC.219/GY-WADI/GSU/GTL]

बी राम कृष्ण, सीपीएम/ जीएसयू/जीटीएल

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 29th September, 2025

S.O. 4515(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 219 to an extent (Acres 02 and 27 Gunta) in Raichur Village of Raichur Taluka in Raichur District in the state of Karanataka, hereby declares its intention to acquire such land

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Assistant commissioner Raichur, Raichur district in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Assistant Commissioner Raichur, Raichur district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing (LC) No. 219 to an extent of 02-27 A/G in Raichur village of Raichur Taluka in Raichur District in the state of Karanataka

Name of Village : Raichur			Taluka : Raichur			District : Raichur		
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Sl. No.	Survey No.	Extent area (in Acres) as per pahani	Extent area (in Hectar)	Type of land (Govt. /Pvt.)	Nature of land (Wet/Dry)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raichur	Raichur	12	93/*/1	0-02	0.02	Private	Dry
2	Raichur	Raichur	13	93/*/6	0-05	0.05	Govt	Dry
3	Raichur	Raichur	14	94/*/*	0-37	0.37	Private	Dry & NA Land
4	Raichur	Raichur	1	195/*/1	0-04	0.04	Private	Dry
5	Raichur	Raichur	2	195/*/6	0-07	0.07	Private	Dry
6	Raichur	Raichur	3	195/*/7	0-04	0.04	Private	Dry
7	Raichur	Raichur	4	195/*/8	0-01	0.01	Private	Dry
8	Raichur	Raichur	5	195/*/9	0-08	0.08	Private	Dry
9	Raichur	Raichur	6	195/*/10	0-03	0.03	Private	Dry
10	Raichur	Raichur	7	198/*/*	0-03	0.03	Private	Dry & NA Land

11	Raichur	Raichur	8	199/*/*	0-18	0.18	Private	Dry & NA Land
12	Raichur	Raichur	9	200/*/*	0-01	0.01	Private	Dry & NA Land
13	Raichur	Raichur	10	200/*/3	0-06	0.06	Private	Dry
14	Raichur	Raichur	11	200/*/4	0-08	0.08	Private	Dry
				Total	02-27	1.07		

[F. No. W.con/RSP/Gazette /20A/LC.219/GY-WADI/GSU/GTL]

B RAMA KRISHNA, CPM/GSU/GTL